उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12, वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक– G 28277 /सी–2/सा0–346/2018 दिनांक– 07-09-18

कार्यालय ज्ञाप

बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या एच 18595/सी–2/सा0–346/07–18 दिनांक 23.04.2018 द्वारा बायो–मेडिकल वेस्ट रूल्स, 2016 के अंतर्गत प्राप्त किये जाने वाले प्राधिकार शुल्क के संबंध में कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया था । बायो–मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के अंतर्गत बिना बिस्तर वाले अधिभोगियों को एक बार का प्राधिकार दिया जाना प्राविधानित है । क्लीनिक, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, वेटरिनरी संस्थान एवं एनिमल हाउस बिना बिस्तर वाले अधिभोगियों की श्रेणी में चिन्हित होते हैं, जिन्हे बायो–मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अंतर्गत एक बार का प्राधिकार दिया जाना प्राविधानित है । अतः क्लीनिक, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, वेटरिनरी संस्थान एवं एनिमल हाउस से वार्षिक प्राधिकार शुल्क के स्थान पर प्रति प्राधिकार एक बार शुल्क लिया जाना होगा ।

एतद्द्वारा उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड के प्राधिकार संबंधी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.04.2018 में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

Fee Structure for Authorization

Sl. No.	Categories	Fee (in R.s)
1	Clinics & blood banks	1000/- per Authorization (One time authorization as per Rule 10 of Bio Medical Waste Management Rules, 2016)
2	Pathological laboratories	5000/- per Authorization (One time authorization as per Rule 10 of Bio Medical Waste Management Rules, 2016)
3	Veterinary institutions, and animal houses	1000/- per Authorization (One time authorization as per Rule 10 of Bio Medical Waste Management Rules, 2016)
4	Hospitals, Nursing Home, HCF, which generates BMW	
(i)	No. of beds less than 50	500/- per annum
(ii)	No. of beds 50 or above and less than 100	2000/- per annum
(iii)	No. of beds 100 or above and less than 200	5000/- per annum
(iv)	No. of beds 200 or above and less than 500	10,000/- per annum
(v)	No. of beds 500	20,000/- per annum
5	Operator of the facility of bio-dedical waste (excluding transportation)	For small Scale Rs. 5000/- per annum For medium Scale Rs. 15,000/- per annum For large Scale Rs. 25,000/- per annum
6	Transporation of bio-medical waste	5000/- per annum

2/–

Scanned by CamScanner

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे ।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन एवम् दिनांक : उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक ।
2. समस्त नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
4. वेब मास्टर, बोर्ड मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करायें ।
5. गार्ड फाईल ।

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner